

रेल दावा अधिकरण
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
दिल्ली/Delhi
(प्रधान पीठ/Principal Bench)

13/15, Main Road, दिल्ली-110054
13/15, Main Road, Delhi-110054

सं. र.दा.अधि./दिल्ली/वीएम/2020

दिनांक 13.08.2021

नोटिस

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही हेतु जारी आदेश दिनांक 22.07.2021 के अनुसार इस कार्यालय पर दिनांक 30.06.2021 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार प्रधान पीठ में न्यायिक कार्यवाही दिनांक 14.08.2021 तक वर्चुअल सुनवाई के रूप में की जा रही है।

अब माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनस्थ न्यायालयों के लिए दिनांक 12.08.2021 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि वर्तमान न्यायिक कार्यवाही की व्यवस्था दिनांक 28.08.2021 तक जारी रहेगी तथा मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि दिनांक 31.08.2021 से प्रतिबंधित तरीके में फिजिकल कोर्ट की कार्यवाही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महामारी (Pandemic) के पैमाने और परिमाण नियंत्रण में रहने पर आधारित होगी।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.08.2021 के अनुपालन में प्रधान पीठ, दिल्ली में न्यायिक कार्यवाही दिनांक 16.08.2021 से 28.08.2021 तक वर्चुअल सुनवाई के रूप में या इस दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश जारी किया जाता है तो उसके अनुसार आयोजित की जाएगी। दिनांक 28.08.2021 से पूर्व बार एशोसिएशन एवं अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक कार्यवाही को फिजिकल रूप से आयोजित करने के बाबत एक वर्चुअल मिटिंग की जाएगी।

इसे माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

सारा
(सारा जयाल साउक्मे)
अपर रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु।

1. पीएस माननीय अध्यक्ष महोदय को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. पीएस माननीय सदस्य (तकनीकी - I) को माननीय सदस्य (तकनीकी) के सूचनार्थ।
3. पीएस माननीय सदस्य (तकनीकी - II) को माननीय सदस्य (तकनीकी) के सूचनार्थ।
4. पीओ आरसीटी, दिल्ली
5. बार एशोसिएशन
6. नोटिस बोर्ड
7. रजिस्ट्री के स्टॉफ
8. संबंधित कर्मचारी को आरसीटी पोर्टल पर डालने हेतु।